नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय

मेदिनीनगर, पलामू - 822102

अधिसूचना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक – 05/सं0–07/2026–1455, दिनांक 14.07.2026 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अद्यतन परिनियम में वर्णित प्रावधान के आलोक में एवं अधिपद् (Senate) के अनुमोदन की प्रत्याशा में नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू अन्तर्गत संचालित अस्थायी संबद्धता प्राप्त बी0एड0/एम0एड0 महाविद्यालयों को बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2026–2028, 2027–2029 एवं 2028–2030 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है–

क्र0	महाविद्यालय का नाम	सत्र	विषय
01	एस0बी0पाण्डेय सनातन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, रेहला, पलामू	2026–28, 2027–29 एवं 2028–30	बी0एड0
02	इंदिरा सिंह बी0एड0 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कल्याणपुर, गढ़वा	2026–28, 2027–29 एवं 2028–30	बी0एड0
03	गोपीनाथ सिंह बी0एड0 कॉलेज, लातदाग, गढ़वा	2026–28, 2027–29 एवं 2028–30	बी0एड0
04	आर0के0वी0एस0 संस्थान, सोनपुरवा, गढ़वा	2026–28, 2027–29 एवं 2028–30	बी0एड0
05	कुमारेश इंटरनेशनल बी0एड0 कॉलेज, रजवाडीह, पलामू	2026–28, 2027–29 एवं 2028–30	बी0एड0
06	कुमारेश इंटरनेशनल बी0एड0 कॉलेज, रजवाडीह, पलामू	2026–28, 2027–29 एवं 2028–30	एम0एड0

शर्तें :–

i. विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा समय सीमा के अंदर किया जाएगा ।

ii. महाविद्यालय पूर्व क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा लगाए गए शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा ।

iii. महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम में वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

iv. जिन महाविद्यालयों को NAAC द्वारा Accreditation प्राप्त नहीं है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन दीर्घीकरण की अधिसूचना जारी होने के 06 महीने के अंदर NAAC Portal पर IIQA submit करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के संबंधन रद्द करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी ।

v. विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन0सी0टी0ई0, राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार,
ह/–
कुलसचिव
नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय
मेदिनीनगर, पलामू

Memo No. – NPU/R/595/26

Date – 05/08/2026

प्रतिलिपि –

1. प्राचार्य, सभी संबंधित महाविद्यालय ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार, राँची ।
3. परीक्षा नियंत्रक, नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू ।
4. कुलपति/वित्त परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक को संबंधित पदाधिकारी के सूचनार्थ प्रेषित।

05-08-2026
कुलसचिव
नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय
मेदिनीनगर, पलामू

05/08/26